

राजस्थान वित्त विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005, को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.**- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2016 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.**- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 5, 18, 23 और 24 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (7) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (8) के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, विनिर्माण में उपयोग में लिये जाने के लिए विद्युतीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु जनरेटिंग सेट को पूंजीगत माल के रूप में माना जायेगा।"

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 13 की विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जहां कोई व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर किये जाने के पश्चात्, अपने कारबार का मुख्य स्थान वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर परिवर्तित करे वहां वह निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे परिवर्तन के लिए आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी से विहित रीति से अनुज्ञा प्राप्त करने की मांग करेगा और जब तक ऐसी अनुज्ञा मंजूर नहीं की जाती तब तक वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी का निर्धारण प्राधिकारी बना रहेगा। जहां निर्धारण प्राधिकारी का परिवर्तन चाहने वाले आवेदन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर अनुज्ञा की मंजूरी पर विनिश्चय नहीं किया जाता है वहां ऐसी अनुज्ञा मंजूर की हुई समझी जायेगी।"

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (5) के परन्तुक में,-

- (i) विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण 31.07.2016 तक किया जायेगा।"

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 33 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह "|" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (iii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष 1 अप्रैल, 2016 को लम्बित आवेदन 30 सितम्बर, 2016 तक, या उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पहले हो, निपटाया जायेगा।"

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 51क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51क में विद्यमान अभिव्यक्ति "ब्याज या शास्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ब्याज या शास्ति अथवा विलंब फीस" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (4) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (3क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) जहां किसी व्यवहारी द्वारा कोई रकम गलती से या अधिक निक्षिप्त करा दी गयी है और यह पाया जाता है कि ऐसी रकम संदेय नहीं है या चालान में उल्लिखित कर कालावधि के लिए व्यवहारी द्वारा संदेय रकम से अधिक निक्षिप्त करा दी गयी है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, निर्धारण प्राधिकारी को उक्त रकम का प्रतिदाय, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, मंजूर करने के लिए निदेश देगा।"

अध्याय 3

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (1क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) प्रत्येक व्यक्ति, जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रभावित विक्रय या क्रय के अनुसरण में कारबार के अनुक्रम में, चाहे उसके स्वयं के मद्दे या किसी मालिक या किसी भी अन्य व्यक्ति के मद्दे, कोई भी माल किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है या लाया जाना कारित करता है, या माल का परिदान लेता है या परिदान लेने का हकदार है, माल के कराधेय क्रय मूल्य पर कर संदत्त करने का दायी होगा।"

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) प्रत्येक पट्टाकर्ता या पट्टेदार, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में माल लाता है या माल लाया जाना कारित करता है; या"

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(v) प्रत्येक व्यक्ति, जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रभावित विक्रय या क्रय के अनुसरण में कारबार के अनुक्रम में, चाहे उसके स्वयं के मद्दे या किसी मालिक या किसी भी अन्य व्यक्ति के मद्दे, कोई भी माल किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है या लाया जाना कारित करता है, या माल का परिदान लेता है या परिदान लेने का हकदार है,

किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के अपने वार्षिक पण्यावर्त का मूल्य ध्यान में लाये बिना स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवायेगा।"।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) अपील ऐसी तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर प्रस्तुत की जायेगी जिसको, वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील का किया जाना ईप्सित है, संसूचित किया जाये; किन्तु अपील प्राधिकारी साठ दिवस की उक्त कालावधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उक्त कालावधि के भीतर-भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।"।

अध्याय 4

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

12. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) में विद्यमान खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ज) "विलास-कर अधिकारी" से आयुक्त द्वारा इस रूप में प्राधिकृत ऐसा कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो;"।

13. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 की विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (5क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(5क) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का दायी कोई होटलवाला, जब उप-धारा (2) के अधीन कोई आवेदन नहीं करता है तो विलास-कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे होटलवाले को सुनवाई का अवसर

प्रदान करने के पश्चात्, उसको उस तारीख से, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी होता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह उप-धारा (4) के अधीन मंजूर किया गया हो।"।

14. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 26 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 26 में,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास-कर अधिकारी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी भी होटलवाले" के पूर्व अभिव्यक्ति "या कोई भी अन्य अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये," अंतःस्थापित की जायेगी।
- (ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास-कर अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए सभी उपयुक्त समयों पर उपलब्ध रहेगी, और विलास-कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए सभी उपयुक्त समयों पर उपलब्ध रहेगी, और ऐसा अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 5

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

15. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ख का संशोधन.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3ख की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"।

16. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3ग की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"

अध्याय 6

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

17. 1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 3-क का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "संनिर्माण या विकास" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के लिए प्राधिकार या अधिकार" के पूर्व अभिव्यक्ति "या विक्रय या अंतरण (चाहे वह किसी भी रीति से हो)," अंतःस्थापित की जायेगी।

18. 1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 3-ख का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की इस प्रकार संशोधित धारा 3-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 4 के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3-ख. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिभार.- (1) स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्र, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय के करार, प्रशमन, बंधक, निर्मोचन, मुख्तारनामे और पट्टे की समस्त लिखतें, और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य किसी भी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास, या उसके विक्रय या अंतरण (चाहे वह किसी भी रीति से हो), के लिए प्राधिकार या अधिकार दिये जाने से

संबंधित करार या करार का ज्ञापन, ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होगा, जो इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसी लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क और धारा 3-क के अधीन प्रभार्य किसी अधिभार के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

(4) इस धारा के अधीन संगृहीत अधिभार का निश्चयन और उपयोग राज्य में गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।"

19. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "और ऐसी रकम को (जो दो सौ रुपये से अनधिक और पचास रुपये से अन्यून हो) फीस, जैसा कलक्टर प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे, दे देता है," के स्थान पर अभिव्यक्ति "और पांच सौ रुपये की फीस दे देता है," प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 में विद्यमान अभिव्यक्ति "नब्बे दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 52-ख का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 52-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 53 के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"52-ख. महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा पुनरीक्षण.- (1) महानिरीक्षक स्टाम्प, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इस अधिनियम के अध्याय 3, 4 और 5 के अधीन किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि

उसका यह विचार हो कि कलक्टर द्वारा उसमें पारित कोई भी आदेश या तो गलत है या राज्य राजस्व के हित के प्रतिकूल है तो वह ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और संबंधित पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश जारी कर सकेगा, जो वह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझे।

(2) पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश के पारित किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश या निदेश पारित या जारी नहीं किया जायेगा।"।

22. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 65 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 65 में,

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "महानिरीक्षक स्टाम्प या कलक्टर" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) उप-धारा (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) उप-धारा (1) के पूर्वोक्त रूप से संशोधित परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु महानिरीक्षक स्टाम्प या महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा विशिष्टतया या सामान्यतया प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि इस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 180 दिवस के भीतर-भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण फाइल कर सकेगा।"।

23. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,

- (i) अनुच्छेद 1 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दो रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (ii) अनुच्छेद 2 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये से अधिक न होते हुए, बंधपत्र के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) अनुच्छेद 3 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) अनुच्छेद 4 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (v) अनुच्छेद 5 के खण्ड (छ) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (vi) विद्यमान अनुच्छेद 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"17. **विक्रय प्रमाण-पत्र** (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम कर चढ़ाई गयी है और बेची गयी है) जो किसी सिविल या राजस्व न्यायालय, या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या लोक नीलाम द्वारा सम्पत्ति विक्रय करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा लोक नीलाम द्वारा बेची गयी किसी सम्पत्ति के क्रेता को मंजूर किया गया है।

वही शुल्क जो क्रय-धन की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर लगता है।";

- (vii) अनुच्छेद 18 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अंकित मूल्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बाजार मूल्य" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (viii) अनुच्छेद 21 में, खण्ड (iii) के सामने स्तम्भ सं. 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यधीन रहते हुए-

- (i) ऐसे समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आबंटित या रद्द किये गये शेयर के बाजार मूल्य या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, में समाविष्ट कुल रकम और संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, या
- (ii) अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम,
- जो भी अधिक हो।";

- (ix) अनुच्छेद 22 के खण्ड (ii) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (x) अनुच्छेद 23 के खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xi) विद्यमान अनुच्छेद 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24. ऐसी लिखत, जो शुल्क से प्रभार्य हो और पांच सौ रुपये।"; जिसके संबंध में समुचित शुल्क संदत्त कर दिया गया हो, में लिपिकीय भूलों को सुधारने के लिए या ऐसे संशोधन, जो किसी भी सम्पत्ति में हित के अंतरण की कोटि में नहीं आते हैं, करने के लिए, **अनुपूरक लिखत।**

- (xii) अनुच्छेद 33-क में विद्यमान अभिव्यक्ति "कालावधि, जिसके लिए ऐसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया है, को विचार में लिये बिना, संदेय या परिदेय संपूर्ण रकम पर और जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन की कुल रकम पर प्रति सौ रुपये या उसके भाग पर एक रूपया।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो पट्टा (सं. 33) पर लगता है।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xiii) अनुच्छेद 35 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xiv) विद्यमान अनुच्छेद 35-क के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 36 के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"35-ख. सीमित दायित्व भागीदारी (सीदाभा).- (1) सीमित दायित्व भागीदारी के गठन की लिखत-

- (क) जहां भागीदारी में कोई शेयर अंशदान नहीं है या जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अनधिक है दो हजार रुपये।
- (ख) प्रत्येक पचास हजार रुपये या उसके भाग के लिए, जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है अधिकतम दस हजार रुपये के शुल्क के अध्यक्षीन रहते हुए, दो हजार रुपये।
- (ग) जहां ऐसा शेयर अंशदान स्थावर संपत्ति के रूप में किया गया है वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
- (2) फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन की लिखत-
- (क) जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति सीमित दायित्व भागीदारी में निहित हो स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत।
- (ख) किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपये।
- (3) सीमित दायित्व भागीदारी का पुनर्गठन या समामेलन प्रतिफल पर या राजस्थान राज्य के भीतर स्थित अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर, जो भी अधिक हो, चार प्रतिशत।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या विघटन,-

(क) जहां भागीदारी के विघटन पर कोई न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्याधीन रहते हुए, स्थावर सम्पत्ति ऐसे भागीदार, जो उस सम्पत्ति को सीमित दायित्व भागीदारी में उसके अंशदान के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली जाती है वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(ख) किसी अन्य मामले में पांच सौ रुपये।";

(xv) अनुच्छेद 43 में,-

(क) खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (1) के उप-खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये के अधिकतम शुल्क के अध्याधीन, पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये के अधिकतम शुल्क के अध्याधीन रहते हुए, दो हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xvi) अनुच्छेद 48 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) यदि किसी पैतृक सम्पत्ति या उसके किसी त्यागे गये शेयर, भाग का निर्मुक्ति विलेख, भाई या बहिन हित, भाग या दावे (त्यागने वाले के माता-पिता के बच्चे) या के बाजार मूल्य के

पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या बराबर रकम का पूर्वमृत पुत्र की पुत्री या पिता या माता या 1.5 प्रतिशत।"; त्यागने वाले की पत्नी या पति के द्वारा या और उनके पक्ष में निष्पादित किया जाये।

(xvii) विद्यमान अनुच्छेद 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"58. **संकर्म संविदा** अर्थात् उसके निष्पादन में अधिकतम पंद्रह माल में की सम्पत्ति के (चाहे वह माल के हजार रुपये के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) अन्तरण अध्यधीन रहते हुए, को अंतर्वलित करने वाले संकर्म और ऐसी संविदा में मजदूरी या सेवाओं की कोई संविदा और रखी गयी रकम या उसमें उप-संविदा भी सम्मिलित है। मूल्य का 0.25 प्रतिशत।"

अध्याय 7

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

24. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-घ की सारणी में क्रम सं. 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

..	2.	परिवहन यान		
		(क) दुपहिया यात्री यान/ तिपहिया यात्री और माल यान		2000
		(ख) तिपहिया यात्री और माल यान से भिन्न यान		
		(i) हल्के मोटर यान	मोटर यान अधिनियम,	
		(क) यदि यान की आयु उसके	1988 (1988 का	5000

	प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो	केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के	
	(ख) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो	अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988	8000
	(ii) हल्के मोटर यान से भिन्न यान	(1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय	
	(क) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो		6000
	(ख) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो		10000

"।

अध्याय 8

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

25. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 36.5, 36.5, 35.5, 35.0 और 34.0 प्रतिशत तक सीमित करेगी;"

(ii) खण्ड (ड) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ड) के पश्चात् और विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) यह सुनिश्चित करेगी कि 31.03.2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और तत्पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:"; और

(iii) प्रथम परन्तुक के खण्ड (ग) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और इस प्रकार संशोधित उक्त खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/02/2015-एनईएफ/एफआरपी दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना के अधीन ऊर्जा वितरण कम्पनियों के उधारों को टेकओवर करने और उन पर ब्याज के कारण,"।

26. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6क की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 अप्रैल, 2015 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(2) किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियां, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां, जो राज्य सरकार उचित समझे, यदि राज्य विधान-मण्डल इस निमित्त विधि द्वारा विनियोग का उपबंध करे तो आगामी वर्ष में निधि में जमा की जायेंगी।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 का खण्ड (7) पूंजीगत माल को परिभाषित करता है। वर्तमान में, पूंजीगत माल की परिभाषा में जनरेटिंग सेट के सम्मिलित होने के संबंध में संदेह है। इस स्थिति को स्पष्ट करने की दृष्टि से, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (7) में एक स्पष्टीकरण के अंतःस्थापन द्वारा संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3), वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता के बाहर कारबार के मुख्य स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा की मंजूरी के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है। वर्तमान में, यह समय-सीमा साठ दिवस है, इस समय-सीमा को कम करने की दृष्टि से, धारा 13 की उप-धारा (3) में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (5) उपबंधित करती है कि निर्धारण, सुसंगत वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर-भीतर किया जाना चाहिए। निर्धारण वर्ष 2013-14 से ऑनलाइन निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है। निर्धारण प्रक्रिया में इस परिवर्तन के कारण, वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण माह अगस्त, 2015 में प्रारंभ हुए थे, इसलिए, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए समय-सीमा को 31.07.2016 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) परिशुद्धि के लिए आवेदन के निपटारे के लिए समय-सीमा उपबंधित करती है। ऐसे आवेदनों के शीघ्र निपटारे को ध्यान में रखते हुए, इस समय-सीमा को एक वर्ष से कम करके छह मास किये जाने के लिए धारा 33 की उप-धारा (3) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 51क राज्य सरकार को कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज अधित्यक्त करने के लिए सशक्त करती है। वर्ष 2011-12 में विवरणी फाइल करने में विलंब के लिए विलंब फीस के उपबंध किये गये थे। व्यवहारियों के लिए उनके द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत विवरणी की प्राप्ति रसीद की हार्ड कॉपी फाइल करना

अपेक्षित होता था। कई मामलों में, हार्डकॉपी फाइल नहीं की गयी या विलंब से फाइल की गयी जिसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यवहारियों पर विलंब फीस अधिरोपित की गयी। राज्य के ऐसे व्यवहारियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से धारा 51क में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ताकि कतिपय मामलों में विलम्ब फीस अधित्यक्त करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा सके।

अधिनियम की धारा 53 व्यवहारी को कोई रकम प्रतिदेय होने की दशा में प्रतिदाय के उपबंध उपबंधित करती है। कभी-कभी ई-ग्रास के माध्यम से कर का ऑनलाइन संदाय करते समय अधिक संदाय या गलत संदाय कर दिया जाता है। वर्तमान में, यह रकम केवल निर्धारण के समय ही प्रतिदेय होती है, जिसके कारण व्यवहारियों को नकदी की समस्या होती है। ऐसे मामलों में राहत प्रदान करने की दृष्टि से धारा 53 में एक नयी उप-धारा (3क) अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999

हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से माल के ऑनलाइन विक्रय या क्रय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्रय किये गये माल पर प्रवेश कर के उद्ग्रहण और संग्रहण को दृष्टि में रखते हुए, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 4 में एक नई उप-धारा (1क) और धारा 11 की उप-धारा (2) में नया खण्ड (v) अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, उक्त अधिनियम के अधीन अपील पृथक् रूप से फाइल की जाती है। राज्य के व्यवहारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अधीन फाइल की जाने वाली अपीलों के लिए एक समान प्ररूप प्रस्तावित किया गया है। अपील फाइल करने की समय-सीमा में एकरूपता रखने के लिए इस अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा 2 का खण्ड (ज) विलास-कर अधिकारी की परिभाषा उपबंधित करता है। वर्तमान में, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी विलास-कर अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए

प्राधिकृत नहीं हैं। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, निर्धारण प्राधिकारी हैं। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के समान सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को सशक्त करने के लिए इस अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (ज) को प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 12 होटलवाले के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करती है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के उपबंधों से एकरूपता रखने के लिए धारा 12 में एक नयी उप-धारा (5क) अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

इसी प्रकार, इस अधिनियम और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन निरीक्षण की प्रक्रिया में एकरूपता रखने के लिए इस अधिनियम की धारा 26 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3ख की उप-धारा (2) जल संरक्षण उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली की रीति का उपबंध करती है किन्तु यह छूट के लिए उपबंध नहीं करती है। जल संरक्षण उपकर के संदाय से छूट उपबंधित करने के लिए, इस उप-धारा को इसके प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) नगरीय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली की रीति का उपबंध करती है किन्तु यह छूट के लिए उपबंध नहीं करती है। नगरीय उपकर के संदाय से छूट उपबंधित करने के लिए, इस उप-धारा को इसके प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में संशोधन के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 3-क की उप-धारा (1) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में, गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से इस अधिनियम में एक नयी धारा 3-ख जोड़कर स्टाम्प शुल्क पर अधिभार उद्गृहीत किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित अधिभार, इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

वर्तमान में, धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णयन फीस पचास से दो सौ रुपये है जो प्रत्येक मामले में कलक्टर विनिश्चित कर सकता है। प्रत्येक मामले में न्यायनिर्णयन फीस पांच सौ रुपये नियत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 35 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

कलक्टर के आदेश की परिशुद्धि के लिए विहित समय-सीमा को नब्बे दिवस से बढ़ाकर दो वर्ष करने के लिए, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 52 को, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

कलक्टर के ऐसे आदेशों की, जो गलत हैं या राज्य राजस्व के हित के प्रतिकूल हैं, पुनःपरीक्षा करके स्टाम्प शुल्क को पुनःनिर्धारित करने के लिए महानिरीक्षक स्टाम्प को सशक्त करने हेतु एक नयी धारा 52-ख को अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा कलक्टर के ऐसे आदेशों की पुनःपरीक्षा नहीं की जायेगी जो 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं। धारा 52-ख के अंतःस्थापन के कारण धारा 65 में भी पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित हैं।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से पुनरीक्षण फाइल करने की समय-सीमा को ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिवस से बढ़ाकर ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस करने के लिए उक्त धारा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी ऋण अभिस्वीकृति की लिखत पर स्टाम्प शुल्क दो रुपये से बढ़ाकर दस रुपये किये जाने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 1 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रशासन-बंधपत्र पर स्टाम्प शुल्क उसके मूल्य पर, अधिकतम एक सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये को पुनरीक्षित कर

ऐसे बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 2 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

दत्तक विलेख पर स्टाम्प शुल्क तीन सौ रुपये को पुनरीक्षित कर एक हजार रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 3 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

शपथ-पत्र पर स्टाम्प शुल्क बीस रुपये से बढ़ाकर पचास रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 4 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी विशिष्ट प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाले करार या करार के ज्ञापन पर स्टाम्प शुल्क को एक सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (छ) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय, कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा लोक नीलाम द्वारा बेची गयी किसी सम्पत्ति के संबंध में मंजूर किये गये विक्रय प्रमाण-पत्र, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 17 के अधीन क्रय-धन की रकम पर स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है। विभिन्न राज्य और केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन विभिन्न अन्य प्राधिकारी भी लोक नीलाम द्वारा संपत्ति का विक्रय करने के लिए सशक्त हैं। इसलिए, प्रत्येक विक्रय प्रमाण-पत्र को स्टाम्प शुल्क की परिधि में लाने के लिए और संपत्ति के क्रय-धन की रकम या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने के लिए भी अनुच्छेद 17 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

शेयरों, स्ट्रिप या स्टाक के अंकित मूल्य के बजाय ऐसे शेयरों, स्ट्रिप या स्टाक के बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 18 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अनुच्छेद 21 के अधीन समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के आदेशों पर स्टाम्प शुल्क की दरों को, अन्य राज्यों में प्रभारित किये जा रहे स्टाम्प शुल्क की तर्ज पर किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए, समामेलन या डीमर्जर या पुनर्गठन के आदेशों पर

स्टाम्प शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाने और संगणना की पद्धति को परिवर्तित करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी प्रति या उद्धरण पर, जहां मूल पाठ एक रुपये से अधिक के शुल्क से प्रभार्य है, स्टाम्प शुल्क पांच रुपये से बढ़ाकर एक सौ रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 22 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

लिखतों के प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर, जहां मूल लिखत तीन रुपये से अधिक के शुल्क से प्रभार्य है, स्टाम्प शुल्क दस रुपये से बढ़ाकर एक सौ रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 23 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची का अनुच्छेद 24 का वर्तमान उपबंध शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत में लिपिकीय भूलों को सुधारने के लिए निष्पादित अनुपूरक लिखतों पर स्टाम्प शुल्क उपबंधित करता है। ऐसे संशोधन, जो किसी संपत्ति में हित के अंतरण की कोटि में नहीं आते हों, करने के लिए निष्पादित अनुपूरक लिखतों को भी सम्मिलित करने के लिए, और स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये किये जाने के लिए अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 24 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

इजाजत और अनुज्ञप्ति करार की लिखतें, सामान्यतया पट्टा विलेखों के विकल्प के रूप में निष्पादित की जा रही हैं। इसलिए, इजाजत और अनुज्ञप्ति की लिखतों पर पट्टा विलेखों के समान स्टाम्प शुल्क उपबंधित करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 33-क को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अनुज्ञप्ति-पत्र पर स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये से बढ़ाकर दो सौ रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

सीमित दायित्व भागीदारी के गठन, पुनर्गठन या सम्मेलन, परिसमापन या विघटन और भागीदारी फर्मों या कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से

संबंधित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क उपबंधित करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में एक नया अनुच्छेद 35-ख अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

भागीदारी की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 43 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

स्टाम्प शुल्क को कुटुम्ब बंदोबस्त और पैतृक संपत्ति के विभाजन के दस्तावेजों के समान युक्तिसंगत बनाने और साथ ही साथ कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः परिभाषित करने के लिए, ताकि संबंधियों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जा सके, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 58 के अधीन संकर्म संविदा पर दस लाख रुपये तक, दस लाख से पचास लाख रुपये और पचास लाख रुपये से अधिक के मूल्य के उनके वर्गीकरण के अनुसार स्टाम्प शुल्क की नियत रकम प्रभारित की जाती है। ऐसी संविदा में रखी गयी रकम या मूल्य पर पंद्रह हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, 0.25 प्रतिशत की दर पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क का उपबंध करने के लिए अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 58 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-घ के अधीन ग्रीन कर (उपकर) के अधिरोपण का उपबंध, गैर-परिवहन और परिवहन यानों पर इस कर के उद्ग्रहण के लिए सशक्त करता है। गैर-परिवहन यानों के मामलों में, यह यान के रजिस्ट्रीकरण, नये रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय प्रभारित किया जाता है। परिवहन यानों पर ग्रीन कर रजिस्ट्रीकरण, नये रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशन और सही हालत में होने के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय उद्ग्रहीत किया जाता है। यह धारा यानों के ईंधन आधारित और इंजन क्षमता आधारित प्रवर्गों को भी नियत करती है जिसमें दरों के विभेद को उपबंधित किया गया है। ग्रीन कर का अधिरोपण जहां एक तरफ प्रदूषणकारी यानों को हतोत्साहित करते हुए

उत्सर्जन स्तरों को कम करने में सहायता करता है, और वहीं दूसरी तरफ परिवहन अवसंरचना के विकास और रख-रखाव के स्त्रोतों में वृद्धि करता है। यह देखा गया है कि परिवहन यान पर्यावरण के प्रति अधिक नुकसानदायी होते हैं और प्रदूषण उत्सर्जन की संभावना उनके उपयोग और समय के साथ बढ़ती है। इसलिए, अधिक पुराने यानों पर अधिक ग्रीन कर उद्गृहीत करना समुचित समझा गया है। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन कर के अधिरोपण के प्रयोजन के लिए परिवहन यानों को उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से उनकी आयु के आधार पर और प्रवर्गीकृत करना प्रस्तावित है। तदनुसार, धारा 4-घ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 राज्य सरकार को समयबद्ध लक्ष्यों सहित राजवित्तीय समेकन का जिम्मा लेकर राज्य-वित्त का राजवित्तीय उत्तरदायी रीति से प्रबंध करने के प्रयोजनार्थ अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में 2014-15 के पश्चात् बकाया ऋण की सीमा विहित नहीं है। इसलिए, अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ग) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, वर्तमान में बकाया सरकारी प्रत्याभूति की कानूनी सीमा विहित नहीं है। बकाया सरकारी प्रत्याभूति की सीमा विहित करने के लिए इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन एक नया खण्ड (च) अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/02/2015-एनईएफ/एफआरपी दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (UDAY) के अधीन डिस्कॉम के उधारों को टेकओवर करने के कारण राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार राजस्व घाटे और राजवित्तीय घाटे के लक्ष्य की पूर्ति करने में असमर्थ है। इसलिए, इस अधिनियम की धारा 6 के प्रथम परन्तुक में एक नया खण्ड (घ) जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

"सामान्य से अधिक राजस्व बढ़ोतरी" वाले वर्षों में राज्य राजस्व के भाग को अलग रखने और ऐसे संचय का उस वर्ष की समानीकरण निधि में उपयोग करने की दृष्टि से इस अधिनियम में एक संशोधन के द्वारा वर्ष 2014 में "राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि" के नाम से एक निधि सृजित की गयी थी। इस निधि में, किसी

भी वर्ष में राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों में हिस्सा समाविष्ट है, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां, समाविष्ट हैं। 14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया था। इसलिए, किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियां, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों, आगामी वर्ष में निधि में जमा किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 6क के खण्ड (2) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। यह संशोधन 01.04.2015 से भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 01.04.2015 से प्रभावी हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत माननीय
राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

[सं.प.12(11)वित्त/कर/2016 दिनांक 08.03.2016

**प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान
सभा, जयपुर]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक 2016 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 26, जो राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में धारा 6क की उप-धारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की ऐसी कर प्राप्तियों को, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों और राज्य विधान-मण्डल द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् किन्हीं भी अन्य राजस्व प्राप्तियों को राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि में जमा करने के लिए, प्राधिकृत करेगा।

**वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।**

प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक का खण्ड 4, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 13 की उप-धारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, इस धारा के अधीन जारी की जाने वाली अनुज्ञा की रीति विहित करने के लिए, सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 8, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 53 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, कोई रकम गलत या अधिक निक्षिप्त किये जाने के मामले में प्रतिदाय की मंजूरी की रीति विहित करने के लिए, सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

**वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।**

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) से (6) XX XX XX

(7) "पूँजीगत माल" से विनिर्माण में उपयोग के लिए अभिप्रेत संयंत्र और मशीनरी, जिसके अन्तर्गत उसके पुर्जे और उपसाधन हैं, अभिप्रेत है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में समय-समय पर अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाये;

(8) से (45) XX XX XX

XX XX XX XX

13. रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी.- (1) से (2) XX XX

(3) जहां कोई व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर दिये जाने के पश्चात्, अपना कारबार का मुख्य स्थान वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता के बाहर परिवर्तित करे वहां वह निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे परिवर्तन के लिए आयुक्त या आयुक्त के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा और जब तक ऐसी अनुज्ञा नहीं दे दी जाती वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी का निर्धारण प्राधिकारी बना रहेगा। जहां निर्धारण प्राधिकारी का परिवर्तन चाहने वाले आवेदन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर-भीतर अनुज्ञा की मंजूरी पर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो ऐसी अनुज्ञा मंजूर की हुई समझी जायेगी।

XX XX XX XX

24. निर्धारण.- (1) से (4) XX XX XX

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के समाप्त होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा। तथापि, आयुक्त, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी विशेष मामले में ऐसी समय-सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा:

परन्तु वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण 30.06.2015 तक किया जायेगा।

(6) XX XX XX
XX XX XX XX

33. किसी गलती की परिशुद्धि.- (1) से (2) XX XX XX

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन निर्धारण प्राधिकारी, को प्रस्तुत किया जाये और उसकी रसीद अभिप्राप्त की जाये, वहां उसका निपटारा प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा और जहां ऐसे आवेदन का निपटारा उक्त कालावधि के भीतर-भीतर नहीं किया जाये वहां वह मंजूर कर लिया गया समझा जायेगा।

(4) से (5) XX XX XX
XX XX XX XX

51क. कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज को अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।

XX XX XX XX

2. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

11. व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण.- (1) XX XX XX

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(i) किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले माल का उपयोग या उपभोग अंतर्वलित करने वाली संकर्म-संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक व्यवहारी; या

(ii) किसी स्थानीय क्षेत्र का साधारणतः अनिवासी प्रत्येक व्यवहारी; या

- (iii) ऐसे माल का, जो विनिर्दिष्ट किया जाये, अनन्य रूप से संव्यवहार करने वाले किसी व्यवहारी से भिन्न किसी स्थानीय क्षेत्र की साधारणतः अनिवासी किसी व्यवहारी का प्रत्येक प्रबन्धक या अभिकर्ता; या
- (iv) प्रत्येक पट्टाकर्ता या पट्टेदार, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में माल लाता है या माल लाया जाना कारित करता है, किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के अपने वार्षिक पण्यावर्त का मूल्य ध्यान में लाये बिना स्वयं को रजिस्ट्रकृत करवायेगा;

XX XX XX XX

23. अपील.- (1) XX XX XX

(2) निम्नलिखित के संबंध में अपील तीस दिन के भीतर-भीतर की जायेगी:-

- (i) निर्धारण के आदेश के संबंध में, उस तारीख से जिसको अपीलार्थी को निर्धारण का नोटिस तामील किया गया था; और
- (ii) किसी भी अन्य आदेश के संबंध में, उस तारीख से, जिसको अपीलार्थी को वह आदेश संसूचित किया गया था:

परन्तु अपील प्राधिकारी उपर्युक्त तीस दिन की कालावधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास उक्त कालावधि के भीतर-भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) से (5) XX XX XX

XX XX XX XX

**3. राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990
(1996 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (झ) XX XX XX

